


**पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद देहरादून,
विकासखण्ड सहसपुर की सहसपुर पेयजल योजना के विस्तृत आगणन के अनुमोदनार्थ
मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06 सितम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त
समिति की बैठक का कार्यवृत्त**

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:-

1. श्री नितेश कुमार झा, सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 2. डॉ0 वी0 षण्मुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 3. श्री उदय राज सिंह, एम0डी0, जल निगम, उत्तराखण्ड।
 4. श्री एस0के0 शर्मा, सी0जी0एम0, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड।
 5. श्री के0के0 रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
 6. श्री एस0सी0 पन्त, सी0ई0(एच0क्यू0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
 7. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
 8. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
 9. श्री संजय सिंह, एस0ई0 उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौडी गढ़वाल।
1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :- योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्राम सहसपुर में वर्तमान में इन्द्रपुर पेयजल योजना एवं छरबा पेयजल योजना के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। योजनान्तर्गत इन्द्रपुर पेयजल योजना के द्वारा 04 ग्राम पंचायतों एवं छरबा पेयजल योजना के द्वारा 02 गांवों को जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में स्थापित पाइप लाईनों में कई जगहों पर लीकेज होने के कारण आवश्यकतानुसार जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। मानकानुसार पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु नलकूप योजना का निर्माण जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है।
 2. **भूमि की उपलब्धता** :- विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।
 3. **योजना प्राविधान** :- योजना में मुख्य प्राविधान निम्न प्रकार है :-
 - पम्प हाउस - 01 संख्या - 1600 LPM डिस्चार्ज क्षमता का नलकूप - 01 संख्या।
 - 550 कि0ली0 क्षमता एवं 28 मीटर स्टेजिंग के आर0सी0सी0, सी0डब्ल्यू0आर0/होवर हैड टैंक का निर्माण
 - **राइजिंग मैन** :- 200 एम0एम0 dia एम0एस0ई0आर0डब्ल्यू0 पाइप - 1550 मीटर।
 - **वितरण प्रणाली** :- विभिन्न साइज पाइप के साथ - 17,425 मीटर लम्बाई।
 - जलकल परिसर, बाउण्ड्रीवाल तथा गेट का निर्माण।
 4. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत** :-
 - 4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.07.2021 को सम्पन्न हुई।
 - 4.2 योजना की आवश्यकता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि ग्राम सहसपुर वर्तमान में दो योजनाओं क्रमशः इन्द्रपुर पेयजल योजना एवं छरबा पेयजल योजना के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। उक्त योजनायें वर्ष 2010-12 के मध्य निर्मित हुई।



- 4.3 वर्तमान में सहसपुर में पेयजल हेतु **30.46 एल0पी0सी0डी0** की दर से जलापूर्ति हो रही है।
- 4.4 प्रस्तावित पेयजल योजना ग्राम सभा में ग्राम योजना, जिला जल एवं स्वच्छता समिति तथा एस0एल0एस0सी0 की बैठक से अनुमोदित है।
- 4.5 पेयजल योजना में गुरुत्व आधारित सोर्स उपलब्ध न होने के कारण योजना नलकूप आधारित योजना प्रस्तावित की गयी है।
- 4.6 योजना में 1536 हाउस होल्ड सम्मिलित है इस प्रकार योजना के अन्तर्गत 1536 FHTC प्रदान किये जाने है।
- 4.7 योजना की डिजाइन अवधि 30 वर्ष ली गयी है। आधार वर्ष 2021 तथा डिजाइन वर्ष 2051 रखा गया है।
- 4.8 पेयजल की मांग की गणना हेतु घरेलू उपयोग हेतु 55 एल0पी0सी0डी0 एवं 15 प्रतिशत Wastage का प्राविधान किया गया है। स्कूल, आंगनवाडी, मदरसा के लिए 45 एल0पी0सी0डी0 तथा जानवरों के लिए 115 एल0पी0सी0डी0 पेयजल की खपत मानते हुए पेयजल की गणना की गयी है।
- 4.9 योजना में आधार वर्ष 2021 में 10,031 एवं डिजाइन वर्ष 2051 में 13,240 जनसंख्या की गणना के आधार पर पेयजल की मांग आधारित है।
- 4.10 योजना की प्रति FHTC लागत, आधार वर्ष में रू0 37,964 एवं डिजाइन वर्ष में रू0 27599 प्रति व्यक्ति आकलित की गयी है तथा आधार वर्ष में पेयजल की लागत 5578 प्रति व्यक्ति एवं डिजाइन वर्ष में 4236 प्रति व्यक्ति आंकलित की गयी है।
- 4.11 योजना से वास्तविक आय आधार वर्ष 2021 में 4,07,040 एवं डिजाइन वर्ष में 46,97,072 आंकलित की गयी है।
- 4.12 पेयजल के स्रोत के रूप में नलकूप निर्माण की फिजिविलिटी के सम्बन्ध में Bharti Consultancy Services 131, Engineering enclave, GMS road Dehradun द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 को कार्य स्थल के Hydro Geological Survey के आधार पर **1500-1800 एल0पी0एम0** जल की उपलब्धता अवगत करायी गयी है।
- 4.13 योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :-

(धनराशि रू0 लाख में)


S. No.	Items	Amount		Convergence Cost		Community Participation	JJM Cost (3+4-7)
		Schedule	Non Schedule	SBM / 15 th financ e	MnREGA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cost of Water Supply Works	369.08	169.23			7.10	531.21
2	Cost of Grey Water Mangement			21.79	2.71		
3	Cost of Rain Water harvesting Tank			8.70	1.18		
4	Cost of Cattle Trough			3.44	0.47		
	Total Work Cost	369.08	169.23	33.93	4.36	7.10	531.21
				38.28 lakh			

JJM Cost - column (3+4-8) - Rs 531.21 lakh

Convergence Cost - Rs 38.28 lakh

Community Contribution - Rs 7.10 lakh

परियोजना की कुल लागत :- रू0 576.59 लाख




4.14 राज्य योजना आयोग में आगणन के परीक्षण में रू0 21.71 लाख की कटौती प्रस्तावित की गयी हैं। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों की लागत रू0 531.21 लाख, Convergence मद में कार्य की लागत रू0 38.28 लाख एवं Community Contribution मद में लागत रू0 7.10 लाख है।

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :-**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के आलोक में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार-4.13 (Summary of Cost) में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 576.59 लाख को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :-

- 5.1 समिति को अवगत कराया गया है कि आगणन का गठन Consultants द्वारा किया गया है अतः निर्माण से पूर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त पेयजल योजना के Most Economic / Technically feasible विकल्प का चयन कर यह प्रमाण पत्र देंगे कि इससे अधिक मितव्ययी विकल्प उपलब्ध नहीं है, तदनुसार नियोजन विभाग को भी अवगत करायेगें।
- 5.2 जनसंख्या की गणना के सम्बन्ध में तहसील से पिछले दो दशक के आकड़ों के आधार पर जनसंख्या की गणना करने के उपरान्त ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जाये।
- 5.3 विभाग/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगे कि डिजाइन वर्ष की मांग के अनुरूप न्यूनतम जल की मात्रा जल स्रोत में योजना की डिजाइन अवधि तक अवश्य उपलब्ध रहें।
- 5.4 योजना कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 5.5 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, ईट, cement, Steel, Pipe एवं अन्य निर्माण सामग्री का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।
- 5.6 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित है। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।
- 5.7 योजना में प्राविधानित Plant and Equipment की आपूर्ति हेतु Cost effectiveness तथा Energy efficient system के अनुरूप कार्यवाही का विशेष ध्यान दिया जाय।




- 5.8 आगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5.9 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करार्येंगे।
- 5.10 कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव करा लिया जाय। व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1-5.10 तक निहित शर्तों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।





(मनीषा पंवार)

अपर मुख्य सचिव


उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)

संख्या 1159/742/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/ पेयजल/2021-22

देहरादून: दिनांक: 20 सितम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।


(डॉ० वी० षण्मुग्रम)
सचिव (प्रभारी)